

क्षति रहित कीमत (एनआईपी) के निर्धारण के संबंध में पाटनरोधी नियमावली पर कुछ घरेलू उत्पादकों से प्राप्त प्रतिवेदन

सरकार ने दिनांक 01.03.2011 की अधिसूचना सं. 15/2011-सीमाशुल्क (एन.टी.) के तहत सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुबंध-III के माध्यम से "क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए सिद्धांत" प्रकाशित किए हैं। कुछ घरेलू उत्पादकों ने सरकार को यह प्रतिवेदन दिया है कि पाटनरोधी नियमावली में विनिर्दिष्ट क्षति रहित कीमत (एनआईपी) के निर्धारण के सिद्धांत पाटन के नुकसान से उनके हितों का पर्याप्त संरक्षण नहीं करते। इन घरेलू उत्पादकों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचार के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में कतिपय संशोधनों का सुझाव दिया है। उनके द्वारा उठाए गए मामलों पर एक टिप्पणी और उनके द्वारा प्रस्तुत अनुबंध-III की संशोधित प्रति इस टिप्पणी के साथ संलग्न है।

सभी हितबद्ध पक्षकारों अर्थात् घरेलू उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों तथा उनके संघों और परामर्शदाताओं से यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग के एक हिस्से द्वारा दिए गए सुझावों का अध्ययन करें और दिनांक 15 मार्च, 2015 तक प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी टिप्पणियां/सुझाव प्रस्तुत करें। टिप्पणियां/सुझाव निम्नलिखित पते पर भेजे जा सकते हैं :

**निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001**

वर्तमान क्षति रहित कीमत कानून और उसकी व्याख्या के संबंध में समस्याओं पर कतिपय घरेलू उत्पादों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियां

वर्तमान क्षति रहित कानून, घरेलू उद्योग के व्यापक हितों के बिल्कुल खिलाफ है और यह पाटन के नुकसान से भारतीय उद्योग का पर्याप्त संरक्षण करने में एक प्रमुख बाधा बन गया है। इस बात को स्वीकार करते हुए कि यह नियमों में एक प्रथा को संहिताबद्ध करने और उसे अधिसूचित करने के लिए उपयुक्त रहा होगा लेकिन इन नियमों को व्यापार और उद्योग के साथ किसी तरह की बातचीत किए बिना अंतिम रूप दिया गया था और अधिसूचित कर दिया गया था। हैरानी की बात है कि यहां तक कि जब व्यापार और उद्योग के साथ ऐसे कई अन्य संशोधनों के संबंध में भी परामर्श किया गया था तो एक ऐसा महत्वपूर्ण नियम व्यापार और उद्योग के साथ चर्चा किए बिना ही अधिसूचित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप कानून में काफी खामियां रह गई हैं और उन्हें तत्काल संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि, कुछ संशोधन तो नियमावली के उद्देश्य को समुचित व्याख्या प्रदान करने के लिए ही आवश्यक है, कुछ प्रावधान बिल्कुल ही अनुपयुक्त हैं और उनमें पर्याप्त कारोबार और आर्थिक आधार का अभाव है। हमने वर्तमान क्षति रहित कीमत कानून को ऐसे संशोधनों के संबंध में सुझावों के साथ संलग्न किया है जो वर्तमान कानून में किए जाने आवश्यक हैं। हम इन प्रस्तावित संशोधनों को स्पष्ट करने के लिए विस्तृत चर्चा करने के लिए इच्छुक हैं।

(क) फैक्ट्री से डिपो तक माल-भाड़े की व्यवस्था :

क्षति रहित कीमत (एनआपी) कानून यह कहता है कि चूंकि क्षति रहित कीमत की गणना कारखाना बाह्य स्तर पर की जानी है, इसलिए निर्माण के उपरांत के व्यय जैसे कमीशन, छूट, बाहर ले जाने के लिए माल-भाड़ा इत्यादि पर क्षति रहित कीमत का आकलन करते समय विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, यह नियम यह स्वीकार करने में विफल रहा है कि सभी स्थितियों में कारखाना बाह्य स्तर पर क्षति रहित कीमत निर्धारित करना उपयुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार से, ये नियम बिना किसी आधार के ही यह अनुमान लगाते हैं कि क्यों क्षति रहित कीमत कारखाना बाह्य स्तर पर होनी चाहिए। वास्तव में, यह मानने के लिए कोई भी कारोबारी और आर्थिक आधार नहीं है कि क्षति रहित कीमत कारखाना बाह्य स्तर पर अवश्य ही निर्धारित की जानी चाहिए। इसके विपरीत, कारखाना बाह्य स्तर के अलावा किसी अन्य स्तर पर क्षति रहित कीमत का निर्धारण करना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए, सोडा ऐश में, व्यावहारिक रूप से देश में समग्र सोडा ऐश सौराष्ट्र क्षेत्र में उत्पादित की जाती है जबकि आपूर्ति देश भर में की जाती है। यह 14000-18000 पीएमटी की रेंज की कीमत का उत्पाद होने के कारण माल-भाड़े की स्थिति देश में दक्षिणी क्षेत्र में अधिक से अधिक 8000-10000 पीएमटी

की रेंज में हो सकता है। इस प्रकार, कारखाना बाह्य स्तर पर क्षति रहित कीमत का निर्धारण करके कानून में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे दक्षिणी/पूर्वी क्षेत्रों में घरेलू उद्योग लुप्तप्राय हो जाएगा। वास्तव में, यह उद्योग धीरे-धीरे क्षेत्रीय उद्योग बनने की ओर अग्रसर है, परिमामस्वरूप देश के पूर्वी और दक्षिणी भाग में अंतरिम अवधि में उद्योग की मात्रा कुल घरेलू बिक्री के करीब 20 % (अर्थात् 3 लाख मी.टन/ वर्ष) के स्तर से नीचे आकर उस मात्रा का आधा रह गया है। शेष बाजार हिस्सा आयातों में चला गया है।

निश्चय ही कानून का आशय देश में उद्योग को इस तरीके से खराब करना नहीं रहा लेकिन नियमावली की प्रस्तावना में यह स्पष्ट दर्शाता है कि कारोबार की वास्तविकताओं को पूरी तरह से स्वीकार किए बिना बनाया गया है। इसके अभिप्राय से निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योगों के दावों को अस्वीकार किए जाने के लिए कोई कारण बताए बिना दावों को अस्वीकार किया जाता रहा है।

(ख) कैप्टिव इनपुट का मूल्यांकन :

निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बाद बाजार कीमत पर ऐसे कैप्टिव इनपुट पर विचार किया जा रहा था । क्षति रहित कीमत कानून आने के साथ ही, कोई एक समान प्रथा नहीं है। कुछ मामलों में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कैप्टिव इनपुट को लागत पर माना है जबकि कुछ मामलों में तो उसे रिकार्ड के अनुसार माना गया है। किसी भी स्थिति में, भारतीय उद्योग के व्यापक हित में, कैप्टिव इनपुट को उनकी लागतों पर मानना उचित नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क को कृपया ध्यान रखा जाए - (i) कैप्टिव इनपुट पर उनकी लागतों पर विचार करने से पिछले समेकित और गैर-समेकित संयंत्रों के बीच अन्तर आएगा और देश में औद्योगिकीकरण को हतोत्साहन मिलेगा, तथा (ii) पाटनरोधी जांच उत्पाद विशिष्ट जांच होती है और इसीलिए उन्हें कंपनी विशिष्ट जांच न बनाया जाना चाहिए।

भारत ही केवल विश्व व्यापार संगठन का ऐसा सदस्य देश नहीं है, जो पाटनरोधी प्रक्रिया अपना रहा है। विश्व में अन्य किसी भी देश ने इस प्रकार का कानून लाने को उपयुक्त नहीं माना है। निश्चय ही यह ऐसा मामला नहीं हो सकता कि अन्य देश अपने उद्योगों के उत्पादों की खपत के लिए पाटनरोधी शुल्कों को लगाने के लिए चिंतित नहीं हैं।

(ग) इनपुट के उपयोग और उत्पादन की सुविधाओं के बारे में धारणा :

यहां तक कि नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी इनपुट और उत्पादन सुविधाओं के अकुशल उपयोग के कारण घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को दूर करेंगे लेकिन निदेशालय ने "इनपुट और उत्पादन सुविधाओं के अकुशल उपयोग" के साथ "खपत और क्षमता उपयोग में मूल अंतर" को समान कर दिया है। इस संबंध में नियम यह कहते हैं कि यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि घरेलू उद्योग ने इनपुट और उत्पादन सुविधाओं का अकुशल रूप से उपयोग किया है। तथापि, निदेशालय द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वह इस धारणा के लिए है कि खपत में कोई भी वृद्धि अकुशल उपयोग है और क्षमता उपयोग में कोई भी गिरावट उत्पादन सुविधाओं का अकुशल उपयोग है।

(घ) क्षति रहित कीमत के निर्धारण में सब्याज खरीद की व्यवस्था :

कार्यशील पूंजी वह धनराशि है, जो किसी भी कारोबारी उद्यम को दैनिक प्रचालन के लिए चलाने के लिए अपेक्षित होती है। कार्यशील पूंजी का निर्धारण वर्तमान परिसंपत्तियों से चालू देनदारियां कम करके किया जाता है। इस प्रकार से कम की गई चालू देनदारियां कारोबारी उद्यमों को उपलब्ध ब्याज मुक्त राशि/ऋण हैं और इसके लिए एक कारोबारी उद्यम को निधियां वितरित करने (और ऐसी निधियों पर लागत व्यय करने) की जरूरत नहीं है। यह इसी कारण से है कि ब्याज मुक्त निधियां/ऋण चालू देनदारियां मानी जाती हैं और कार्यशील पूंजी का निर्धारण करने के लिए चालू परिसंपत्तियों में से कम की जाती हैं। तथापि, यदि चालू देनदारियों में सब्याज ऋण शामिल हैं, तो उसे कार्यशील पूंजी के निर्धारण के लिए अलग करने की जरूरत है। वास्तव में, निदेशालय की स्थापित प्रथा कार्यशील पूंजी का निर्धारण करने के लिए चालू देनदारियों में शामिल सब्याज ऋणों को बाहर करने के लिए है। कारोबारी उद्यमों द्वारा कच्ची सामग्रियों की खरीद पर प्रदान किया गया आपूर्तिकर्ता ऋण वित्तीय संस्थानों से कंपनियों द्वारा प्राप्त किए गए अल्प आवधिक ऋणों के समान है। बैंकों से धनराशि उधार लेने के बजाए (जो पर्याप्त रूप से अधिक ब्याज लागत को आकर्षित करते हैं) कंपनियां इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से अधिकतम संभव ऋण प्राप्त करने का तरजीह देती हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता बैंक ऑफ इंडिया को देय ब्याज दर की तुलना में कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने में सक्षम हैं। इस प्रकार से कच्ची सामग्री की खरीद यह सब्याज अल्प आवधिक ऋणों के समान हैं और वास्तव में ब्याज लागत को आकर्षित करता है।

उपरोक्त को देखते हुए ऐसी स्थितियों में, जहां पर कि किसी कंपनी की सब्याज ऋण खरीद है, ऐसे सब्याज ऋणकर्ता को अल्प आवधिक सब्याज ऋणों के लिए निदेशालय द्वारा की गई व्यवस्था की तर्ज पर चालू देनदारियों से बाहर किया जाए।

अनुबंध-III
[नियम 17(1) देखें]

क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए सिद्धांत

(1) नियम 17 के उप नियम (1) के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसे पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करनी अपेक्षित है, जिसे यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को जहां कहीं भी क्षति होगी, उसे दूर किया जा सकेगा।

(2) खंड (1) के तहत सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी नीचे विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को ध्यान में रखकर समान घरेलू उत्पाद की उचित बिक्री कीमत (काल्पनिक) अथवा क्षति रहित कीमत का निर्धारण करेगा।

(3) क्षति रहित कीमत का निर्धारण घरेलू उद्योग के सभी उत्पादकों के संबंध में जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत के संबंध में सूचना अथवा आंकड़ों पर विचार करके किया जाना है। घरेलू उद्योग के संघटकों द्वारा अनुरक्षित वित्तीय अभिलेखों का विस्तृत विश्लेषण अथवा जांच अथवा मिलान इस प्रयोजन के लिए किया जाना है।

(4) उत्पादन की लागत के निम्नलिखित घटकों की जांच की जानी है और क्षति रहित कीमत की गणना के लिए विचार किया जाना है, अर्थात् -

- i. यदि घरेलू उद्योग को कच्ची सामग्रियों के अकुशल उपयोग के कारण कोई क्षति हुई है, तो उसे अप्रभावी बनाने के लिए घरेलू उद्योग के संघटकों द्वारा विगत तीन वर्षों की अवधि और जांच की अवधि के दौरान कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया जाए। यह धारणा नहीं होगी कि मात्र खपत में वृद्धि होने से कच्ची सामग्रियों का अकुशल उपयोग होगा।
- ii. यदि घरेलू उद्योग को उपयोगी वस्तुओं (यूटिलिटी) के अकुशल उपयोग के कारण कोई क्षति हुई है, तो उसे अप्रभावी बनाने के लिए घरेलू उद्योग के संघटकों द्वारा विगत तीन वर्षों की अवधि और जांच की अवधि के दौरान कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम

- उपयोग पर विचार किया जाए। यह धारणा नहीं होगी कि मात्र खपत में वृद्धि होने से कच्ची सामग्रियों का अकुशल उपयोग होगा।
- iii. यदि घरेलू उद्योग को उत्पादन क्षमताओं के अकुशल उपयोग के कारण कोई क्षति हुई है, तो उसे अप्रभावी बनाने के लिए घरेलू उद्योग के संघटकों द्वारा विगत तीन वर्षों की अवधि और जांच की अवधि के दौरान कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया जाए। यह धारणा नहीं होगी कि मात्र खपत में वृद्धि होने से कच्ची सामग्रियों का अकुशल उपयोग होगा।
- iv. निर्दिष्ट प्राधिकारी एक तर्कसंगत जांच परिणाम दर्ज करेंगे कि कच्ची सामग्रियों और यूटिलिटी की खपत में वृद्धि अथवा क्षमता उपयोग में गिरावट का कारण कच्ची सामग्रियों उपयोगी वस्तुओं (यूटिलिटी) अथवा क्षमताओं, जो भी लागू हो, का अकुशल उपयोग होना है।
- v. उत्पादन की लागत पर समूहबद्ध और प्रभारित सभी व्ययों के औचित्य की जांच की जाए और कोई भी असाधारण अथवा अनावृति व्यय उत्पादन की लागत पर न डाला जाए तथा प्रति कर्मचारी और प्रति माह प्रदत्त वेतन और मजदूरी की भी समीक्षा की जाए तथा कंपनी के वित्तीय और लागत अभिलेखों से मिलान किया जाए।
- vi. उत्पादन की लागत पर प्रभारित मूल्यहास की राशि की तर्कसंगतता सुनिश्चित करने के लिए यह जांच की जाए कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में प्रदान न की गई सुविधाओं के लिए, विशेषकर बहु-उत्पादन कंपनियों के मामले में कोई प्रभार नहीं दिया गया है और पुनः मूल्यांकित परिसंपत्तियों, यदि कोई हो, के मूल्यहास की पहचान की जाए और उत्पादन की तर्कसंगत लागत निकालते समय इसे बाहर किया जाए।
- vii. उत्पाद के लिए अभिज्ञात किए गए व्यय सीधे आबंटित किए जाने हैं और फैक्ट्री के तहत वर्गीकृत साझा व्यय अथवा ओवरहेड, प्रशासनिक और बिक्री ओवरहेड को तर्कसंगत और वैज्ञानिक आधार पर पृथक किया जाए, जैसे मशीन के घंटे, पोट अधिभोग घंटे, श्रम घंटे, उत्पादन की मात्रा, बिक्री मूल्य इत्यादि, जो घरेलू उत्पादकों द्वारा निरंतर प्रयोग में लाए जाते हैं और जांच की अवधि के दौरान दावा किए गए विभिन्न व्ययों की तर्कसंगतता और स्पष्टीकरण की जांच की जाए तथा तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में अनुरूपी धनराशि के साथ तुलना करके जांच पड़ताल की जाए।

viii. क्षति रहित कीमत का आकलन करते समय व्ययों पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) अनुसंधान व विकास प्रावधान (उत्पाद विशिष्ट अनुसंधान के संबंध में दावा और प्रमाणित किए जाने तक) ;

(ख) क्षति रहित कीमत का निर्धारण उसी स्तर पर किए जाने की जरूरत है, जिस स्तर पर क्षति मार्जिन के प्रयोजन के लिए आयात की कीमत का निर्धारण किया गया है ;

(ग) बिक्रियों पर उत्पाद शुल्क, बिक्री कर तथा आयकर आयात कीमत के स्तर पर ही लगाने पर विचार किया जाए ;

(घ) अन्य इकाइयों के लिए किए गए कार्य पर व्यय ;

(ङ) रॉयल्टी, जब तक कि यह उत्पाद की तकनीकी जानकारी से संबंधित है ;

(च) विचाराधीन उत्पाद के व्यापार क्रियाकलाप ;

(छ) अन्य गैर-लागत अथवा असामान्य वस्तुएं जैसे दान, परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि, आग, बाढ़ आदि के कारण हानि।

ix. ब्याज, कारपोरेट कर तथा लाभ की वसूली के लिए उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी पर एक तर्कसंगत प्रतिफल (कर-पूर्व) की अनुमति दी जाएगी। औसतन पूंजी "सकल अचल संपत्ति और निवल कार्यशील पूंजी" का जोड़ है जिसे जांच की अवधि के प्रारंभ में और अंत में औसतन आधार पर लिया जाएगा। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के तर्कसंगत स्तर का आकलन करने के लिए निवल कार्यशील पूंजी के सभी घटकों की विस्तार से जांच की जाए। निवल चालू परिसंपत्तियों में से कोई भी सब्याज देनदारियां कम नहीं की जाएंगी। अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव पर लगी पूंजी की गणना में तब तक विचार न किया जाए जब तक कि कंपनी द्वारा रखे गए रिकार्ड में वह शामिल न हो। ब्याज को बिक्री की लागत की मद के रूप में

अनुमति प्रदान की जाए और ब्याज को कम करने के बाद प्रतिफल की शेष राशि की कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति प्रदान की जाए ताकि क्षति रहित कीमत निकाली जा सके।

- x. ब्याज की लागत की तर्कसंगतता के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाए कि ब्याज के संबंध में कोई भी असामान्य व्यय नहीं किया गया है। परिसंपत्तियों के ब्यौरे के साथ सावधि ऋणों, नकदी ऋण सीमाओं, अल्प आवधिक ऋणों, जमा राशियों तथा कंपनी द्वारा ली गई अन्य उधारियों और उन पर भुगतान किए गए ब्याज की जांच की जाए।
- xi. यदि एक से अधिक घरेलू उत्पादक हैं तो व्यक्तिगत घरेलू उत्पादकों की भारित औसत क्षति रहित कीमत पर विचार किया जाए। संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादन का संगत अंश समग्र उद्योग के लिए भारित औसतम क्षति रहित कीमत की गणना के लिए आधार हो सकता है।

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 01 जनवरी, 1995 की अधिसूचना सं. 2/95-सीमाशुल्क (एनटी), दिनांक 01 जनवरी, 1995 के सा.का.नि.- I (अ) के तहत अधिसूचित किए गए थे और अंतिम संशोधन दिनांक 04 जनवरी, 2002 की अधिसूचना सं. 1/2002-सीमाशुल्क (एनटी), दिनांक 04 जनवरी, 2002 के सा.का.नि.-II (अ) के तहत किया गया था।
